

# अचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी सह अभिलेख नं० 25/8020-3/

बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/9/19	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, मू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० न० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जहाँ के उम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मीजा-<del>कोला कुस्मा</del> मीजा न०- 12 खाता न० 142, 122</p> <p>प्लॉट न० 1273, 1276 रकबा 5.30570.00.00 भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मीजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या 20 के पृष्ठ संख्या 3777 पर जमाबंदी रकत श्रीमति मीना देवी</p> <p>पति- दिनेश गुप्ता ही० के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सलम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कौटुम्बिक बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/तादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निति तथा एवं जमा को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 21/9/19 को रखें।</p>	




अचल अधिकारी

धनबाद।

9/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक से मंतव्य / प्रतिवेदन प्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।

  
23.4.19  
अंचल अधिकारी  
धनबाद।

23/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।

  
23.4.19  
अंचल अधिकारी  
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक  
29/06/20 को रखें।


  
अंचल अधिकारी  
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गौजा  
ओलाकुखमा गौजा नं० 12 खाता 122, 142 प्लाट  
नं० 1273, 1276 रकबा 5.30.310 भूमि से संबंधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाले की भूमि है। जमाबंदी रैगल  
के खोज बोन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलमन)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधत।

  
29.6.20  
अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
29.6.20  
अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

## संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4187

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :-  
 श्रीमती मीना गुप्ता की दिनेश गुप्ता  
 " गीता गुप्ता की अरविन्द गुप्ता  
 " अर्चना गुप्ता की आशिष गुप्ता  
 सा. नं. 100/100/100/100

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कौलाकुलमा	72	122 142	1273 1276	5.30310

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ..... 20 ..... पृष्ठ सं० ..... 3777 ..... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 88.09

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवाद

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो बस्ती / दा० खा० मु० सं० .....  
 1853 (1) 88.09 जिल्द नं० - 2331

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- कृष्ण बजक

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -  
 हु० नं० - 1844 (1) 82-03 जिल्द नं० - 2291

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	432015	29.9.88	88-89
2			
3	6086439	12.6.11	11-12